## उत्तर प्रदेश सरकार

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ईडब्ल्यूएस) का आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र) प्रमाण पत्र संख्या : 389252000162 ्र(वर्ष 2024-25 के लिए वैध) दिनांक : 90/01/25

राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक

के अनुसार प्रमाणित श्री/श्रीमती/कुमारी उज्जवल श्रीवास्तव

पुत्र/पुत्री/पत्नी

रविन्द्र श्रीवास्तव

ग्राम/मोहल्ला 523/20/8

उचवागढी राजापुर

## डाकघर राजापूर

के मूल निवासी है। जिनको राज्य/संघ शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश .पिनकोड फोटो नीचे अनुप्रमाणित है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उनकी / उनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रूपये (आठ लाख रूपये केवल) से कम है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार उनकें / उनके निम्नलिखित में से कोई भी सम्पत्ति नहीं है।

- 05 एकड और उससे ऊपर कषि भूमि
- 1000 वर्ग फिट और उससे अधिक का आवासीय फलैट
- अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्गगज और उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड 3.
- अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड

सामान्य जाति से सम्बन्धित है,उसे अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य श्री/श्रीमती/कुमारी उज्जवल श्रीवास्तव पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। शपथकर्ता शपथपर्वक निम्न कथन करता है कि :-



(राजस्व निरीक्षक) अमर सिह

तहसील-सदर, प्रयागराज

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर

सदर प्रयागराज

आय के अर्न्तगत सभी श्रोतों अर्थात वेतन, किष, व्यवसाय, पेशे इत्यादि शामिल

इस उद्देश्य के लिए परिवार शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति के नाता-पिता 10 साल से कम एम्र के भाई-बहन तथा उसके पति /पति और 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल है।

ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या सम्पत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समुख्या किन्यू स्थानों पर शहरों / शहरों

में एक परिवार द्वारा रखी गई सम्पत्ति को जोड़ा गया है।